फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

कल्याण व अन्य बनाम दीनदयाल व अन्य

संख्या / वर्ष 8/2021 प्रावधान अन्तर्गत धारा 111/120 RAC 1956

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/10/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार प्रार्थीगण उपस्थित। पक्षकार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण को तामीली हेतु रजिस्टर्ड डाक नोटिस तामीला पेश करने हेतु दिनांक 1/2/2021 को आदेशित किया गया लेकिन प्रार्थीगण ने लगभग 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी रजिस्टर्ड नोटिस तामीला पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी सं. 1 दीनदयाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण ने कारण मृत्यु प्रावधान पेश नहीं किया। प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थीगण का प्रावधान अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को अदम तामील अन्तर्गत आदेश 9 R5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पक्षकारान से कोई खर्चा तामील नहीं दिलाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:18:59 IST
Reason: SelfAttested